



# प्रसार शिक्षा निदेशालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)  
जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान-303329  
दूरभाष: 01425-254035, 254111

क्रमांक : एफ ( ) निविदा / प्र.शि.नि. / श्रीकनकृषिवि / 2019 / 5564

दिनांक 28.05.2019

## सीमित निविदा सूचना

प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में चल रहे पाठ्यक्रम "डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फोर इनपुट डीलर्स (देशी) के प्रशिक्षणार्थियों को जुन-जुलाई 2019 में एक तीन दिवसीय क्षेत्र भ्रमण हेतु जोबनेर से अजमेर, चित्तौड़गढ़/उदयपुर एवं राजसमन्द ले जाने हेतु एक ए.सी. बस (42 सीटर) पुशबैक सीट वाली किराये हेतु आवश्यकता है। इस कार्य के इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों/बस मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदाएं दिनांक 03.06.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदाओं के समक्ष (यदि कोई हो तो) समिति द्वारा खोली जावेगी।

शर्त :-

1. बस प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से ले जाकर वापस प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर पर लाना होगा। भ्रमण के स्थानों में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. किराया (यदि जी.एस.टी. देय/लागू) की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से देनी होगी। डीजल, ऑयल, टोल टैक्स, नाइट चार्ज, परमिट एवं अन्य कर/खर्च आदि बस मालिक द्वारा देय होगा।
3. बिल का भुगतान बिल पारित होने पर ऑन-लाईन सीधे ही बैंक खाते में ही किया जावेगा।
4. वाहन का ऑल राजस्थान का परमिट होना आवश्यक है।
5. वाहन का टैक्सी परमिट, वाहन का बीमा, व चालक लाइसेन्स होना आवश्यक है।
6. वाहन का 2013 के बाद पंजीकृत होना आवश्यक है।
7. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक ही पूर्ण जिम्मेदार होगा।
8. वाहन से सम्बन्धित किसी भी तरह के खर्च को वाहन मालिक स्वयं को वहन करना होगा।
9. निविदादाता द्वारा समय पर यात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म पर सख्त कार्यवाही की जावेगी एवं फर्म/व्यक्ति का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. गाड़ी का मेन्टीनेंस एवं चालक परिचालक का खर्च बस मालिक द्वारा देय होगा।
11. बस के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है।
12. बस में बैठने हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए तथा सामान (लगेज) हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।
13. बस में म्युजिक सिस्टम सही कन्डीशन में होना अनिवार्य है।
14. बस के ग्लास एयर टाइट होना अनिवार्य है।
15. चालक एवं परिचालक का वदा म हाना आनवाय ह, तथा इनका दानक खचा बस मालिक स्वयं का होगा।
16. बस भ्रमण के दिन सूचनानुसार समय पर प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में उपलब्ध करवानी होगी। भ्रमण के लिए 7 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।
17. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर करता के पास होगा।
18. बस सक्षम कमेटी की सिफारिश के बाद ही स्वीकृत या अस्वीकृत की जावेगी।
19. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरी बस समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. निविदा फार्म के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
  1. ट्रेवल एजेन्सी की स्थिति में एजेन्सी का लाइसेन्स।
  2. बस की आर.सी. की फोटोकॉपी।
  3. बस की नवीनतम फोटो।
  4. जी.एस.टी., यदि देय/लागू है तो जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा कर चुकता प्रमाण पत्र।
  5. बस के परमिट की छायाप्रति।

*hishajain*

(निदेशक प्रसार शिक्षा)